31-10-2022

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी स्वयं उपस्थित। विप्रार्थी के पैरोकार उपस्थित।

तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन है कि प्रार्थी स्वयं को सुना जाकर ग्राम सड़ा झूण्ड के खसरा नम्बा 100 में से उप स्वास्थ्य केन्द्र सड़ा को बाद आंवटन नये खसरा नम्बर 100/2 की मौका कब्जा एवं राजस्व नक्शा लट्ठा में भिन्न तरमीम हो गई जबकि मौके पर निर्मित भूखण्ड में भिन्नता है, तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र सड़ा झूण्ड की भूमि खसरा नम्बर 100/2 की मौके की स्थिति तथा सलंग्न नक्शा अनुसार किये जाने की अभिशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए वास्तविक कब्जे के अनुरूप तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

दुरूस्तीकरण किया जावे।

प्रार्थी के पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी के आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि के तरमीम को दुरूस्त किये जाने में कोई उजर एतराज प्रस्तुत नहीं करते हुए प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दुरूस्तीकरण में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा तहसीलदार सिणधरी से जरिये प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का परस्पर अवलोकन एवं अद्यतन किया गया। प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ अनुसार ग्राम सड़ा झूण्ड के खसरा नम्बा 100 में से उप स्वास्थ्य केन्द्र सड़ा को बाद आंवटन नये खसरा नम्बर 100/2 की मौका कब्जा एवं राजस्व नक्शा लट्ठा में भिन्न तरमीम हो गई जबकि मौके पर निर्मित भूखण्ड में भिन्नता होने से वास्तविक कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने पर तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट में मौके आवंटन भूमि का नक्शा लट्ठा में अमलदरामद एवं मौके पर निर्मित भूखण्ड में भिन्नता होने से कब्जा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी के आवेदन में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के राजस्व ग्राम सड़ा झूण्ड के खसरा नम्बर 100/2 के संबंध में मौके पर निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र सड़ा के भवन निर्माण को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार वास्तविक कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तुत नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 31,10.2022 को खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी